

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

रीडर/2023/1828

दिनांक - 12/05/2023

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

जेठाराम पुत्र

1 रायसिंह पुत्र जवानसिंह के कायम मुकाम 1/1 लखसिंह
1/2 बालसिंह 1/3 नरपतसिंह पिसरान रायसिंह 1/4
बबूकंवर पत्नी रायसिंह जाति राजपूत 2 शिवजीराम पुत्र
उगाराराम 3 भेराराम 4 भीमाराम 5 नीम्बाराम पिसरान मालाराम
6 पारू पत्नी मालाराम 7 लूम्भाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट 8
कानसिंह 9 लक्ष्मणसिंह 10 नीम्बसिंह 11 पाबूसिंह पिसरान
पन्नेसिंह 12 ढेलकंवर पत्नी पन्नेसिंह 13 भंवरसिंह 14 रूगसिंह
पिसरान जवानसिंह के कायम मुकाम 14/1 खुमाणसिंह 14/2
गुमानसिंह पिसरान रूगसिंह 14/3 पदमकंवर पत्नी रूगसिंह
जाति राजपूत निवासी मुरटाला गाला 15 दलाराम पुत्र भीखाराम
16 मीरोदेवी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी रामपुरा गरल
बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 17 तहसीलदार बाड़मेर 18
सहायक अभियन्ता सानिवि खण्ड बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 343/2019

दिनांक- 28/04/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2486/864 रकबा 12.08 बीघा, खसरा संख्या 2036/886 रकबा 05.12 बीघा कुल रकबा 18.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 12/05/2023

क्रमांक :- रीडर/2023/1829-32

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. धन्नाराम पुत्र जेठाराम वगैराह जाति जाट निवासी मुरटाला गाला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी लखसिंह पुत्र रायसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी मुरटाला गाला तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर